

प्रेषक,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास,

पशुपालन विभाग,

उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।

2- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही को छोड़कर) उ०प्र०।

संख्या: / सामान्य-1 / एफ०एम०डी०-सी०पी० / 2017-18

दिनांक:

विषय:-

एफ०एम०डी०-सी०पी० 21वां चरण के अन्तर्गत टीकाकरण कार्यक्रम के बाधित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसाकि आपको विदित है कि भारत सरकार से वित्त पोषित एफ०एम०डी०-सी०पी० 21वें चरण का टीकाकरण कार्यक्रम दिनांक 16-9-2017 से प्रारम्भ होकर दिनांक 30-10-2017 तक संचालित होना था, जिसमें 04 करोड़ 76 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जाना था, जिसके लिये मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं तथा विभाग द्वारा भी कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिये गये थे एवं समस्त जनपदों को सभी मानक मदों में पर्याप्त बजट एवं वैक्सीन उपलब्ध करा दी गयी। इसके उपरान्त भी अधिकांश जनपदों से वाट्सऐप एवं पत्रों के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि उ०प्र० पशु चिकित्सा संघ के आवाहन पर जनपदों में पशु चिकित्साधिकारियों एवं उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा टीकाकरण नहीं किया जा रहा है।

कृपया पत्र प्राप्ति के 03 घंटे के अन्दर यह अवगत कराये कि एफ०एम०डी०-सी०पी० टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर प्रकरण में आपके स्तर से क्या कार्यवाही की गयी। अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि उक्त राष्ट्रीय महत्ता एवं जनहित कार्यक्रम को बाधित करने में आपकी भी सहभागिता/संलिप्तता है।

भवदीय,

(डा० चरण सिंह यादव)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।

संख्या 555 / सामान्य-1 / एफ०एम०डी०-सी०पी० / 2017-18

दिनांक: 18-09-2017

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

✓ 1-

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

✓ 2-

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3-

प्रमुख सचिव पशुधन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

4-

निजी सचिव मा० पशुधन मंत्री जी, उ०प्र० सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मा० मंत्री जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

(डा० चरण सिंह यादव)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।